राजस्थान उच्च न्यायालय

क्रमांक- RHCB/Reg-CPC/2020/624 दिनांक 20.07.2020

प्रेषिति-

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
समस्त् राजस्थान।

विषयः- अधिवक्तागण के लिए दिनांक 25.07.2020 को आयोजित होने वाला राष्ट्रव्यापी अवेयरनेस/प्रशिक्षण कार्यक्रम।

महोदय,

ई-कोर्टस प्रोजेक्ट के तहत अधिवक्तागण के लिए अनेक डिजिटल सुविधायें उपलब्ध हैं परन्तु जानकारी के अभाव में इन सुविधाओं को पूरा व सार्थक उपयोग नहीं हो पा रहा है।

इस पृष्ठभूमि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमैटी द्वारा अधिवक्तागण के लिए *'ई-फाइलिंग व ई-कोर्टस सर्विसेज'* विषय पर दिनांक 25.07.2020 को साँय 3 से 4 बजे के मध्य एक ऑनलाइन अवेयरनेस/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का विवरण संलग्न है।

इस कार्यक्रम में अधिवक्तागण को विभिन्न ई-कोर्टस सर्विसेज यथा ई-कोर्टस वेब साइट, मोबाइल एप, ई-फाइलिंग, ई-पे, कियोस्क, ई-सेवा केन्द्र आदि के बारे में बताया जायेगा जिससे वे इन माध्यमों से प्राप्त होने वाली विभिन्न डिजिटल सुविधाओं का पूरा लाभ ले सकें।

यह कार्यक्रम पूरे देश में एक साथ आयोजित किया जायेगा जिसमें उबन्तू मास्टर ट्रेनर न्यायिक अधिकारीगण द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान के उबन्तू मास्टर ट्रेनर न्यायिक अधिकारीगण को संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न न्याय क्षेत्रों के लिए नामित किया गया है जिनके द्वारा संबंधित न्याय क्षेत्रों के अधिवक्तागण को ऑनलाइन वेबीनार/मीटिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा। ऑन लाइन वेबीनार/मीटिंग के लिंक व अन्य विवरण मास्टर ट्रेनर द्वारा संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश को उपलब्ध कराये जायेंगे।

कार्यक्रम के दौरान सिस्टम ऑफिसर/असिस्टेंट तथा अन्य न्यायालय कर्मचारीगण, मास्टर ट्रेनर का सहयोग करेंगे जिससे कार्यक्रम निर्बाध संपन्न हो सके तथा इसका अधिकाधिक लाभ अधिवक्तागण को प्राप्त हो सके।

अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि आपके न्याय क्षेत्र के सभी अधिवक्तागण को स्थानीय बार एसोशिएशन के माध्यम से इस कार्यक्रम से अवगत करावें। नोटिस बोर्ड के

माध्यम से भी इस कार्यक्रम की जानकारी प्रसारित की जावे। न्याय क्षेत्र की वेब साइट पर भी इस कार्यक्रम की सूचना अपलोड की जावे तथा अन्य उपलब्ध माध्यमों से भी इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जावे।

आपके न्याय क्षेत्र के लिए नामित मास्टर ट्रेनर से वेबीनार/मीटिंग का लिंक प्राप्त होने पर इसे सभी बार एसोशियेशनों को इस अनुरोध के साथ उपलब्ध कराया जावे कि वे अधिवक्तागण के व्हाटस एप ग्रुप में इसे पोस्ट करें तथा अधिवक्तागण से अधिक से अधिक संख्या में वेबीनार/मीटिंग में भाग लेने के अनुरोध किया जावे।

पुनः अनुरोध है कि इस कार्यक्रम का भरपूर प्रचार प्रसार किया जावे जिससे अधिकाधिक अधिवक्तागण लाभान्वित हो सकें।

भवदीय

संलग्न – उपरोक्तानुसार

Digitally singned by Hemant Singh Registrar Cum CPC Rajasthan High Court

रजिस्ट्रार कम सीपीसी

प्रतिलिपि- सभी मास्टर ट्रेनर्स को प्रेषित कर अनुरोध है कि वे संलग्न विवरण के अनुसार प्रशिक्षण की तैयारी करें। ऑन लाइन वेबीनार/मीटिंग से संबंधित जानकारी तथा अन्य आवश्यक निर्देश उन्हें पृथक से उपलब्ध कराये जायेंगे।

रजिस्ट्रार कम सीपीसी

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज.)

क्रमांक : स्था. / प.75 / 2020 / 5090 दिनांक : 23.07.20

प्रतिलिपि मय संलग्नक निम्नांकित को प्रेषित कर लेख है कि पत्रानुसार ई–फाईलिंग व ई–कोर्ट्स सर्विसेज विषय पर दिनांक 25.07.2020 को सांय 03:00 बजे ऑनलाईन आयोजित होने वाले कार्यक्रम को अधिवक्तागण के सोशल मीडिया ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा उन्हें उक्त कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अनुरोध करें :–

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–01 हिण्डौन सिटी
2. सि0 न्या0 एंव न्या0 मजि., टोडाभीम / श्रीमहावीरजी / नादौती / सपोटरा
3. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, करौली / हिण्डौन / टोडाभीम / श्रीमहावीरजी / नादौती / सपोटरा
4. सिस्टम आफीसर, जिला न्यायालय, करौली को पालनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय करौली पर चस्पां हेतु

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज0)